

न्यायालय, अनुमण्डल पदाधिकारी –सह– नीलाम पत्र पदाधिकारी, बसिया (गुमला)।

नीलाम पत्र वाद सं० 13/2023-24

कं० सं०	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षरी	टिप्पणी
23/5/23	अधियाची पदाधिकारी, जिला मत्स्य पदाधिकारी गुमला के लोक मांग वसूली अधिनियम की धारा 5 के तहत नीलाम पत्र वाद दायर करने की अधियाचना प्राप्त हुई हैं जिसमें श्री/श्रीमति गुरुचरण चीक, पिता/पति स्व० माझा चीक बडाईक, ग्राम लुंगटू, थाना बसिया, जिला गुमला के विरुद्ध देनदार दिखाते हुए मों० 2200:00 रुपये बकाय प्रतिवेदित किया गया है। अभिलेख उपस्थापित। देनदार को निर्गत नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। निर्गत नोटिस के आलोक में देनदार श्री/ जी गुरुचरण चीक, पिता/पति स्व० माझा चीक बडाईक, ग्राम लुंगटू, थाना बसिया, जिला गुमला के द्वारा जिला मत्स्य पदाधिकारी गुमला से प्राप्त ऋण को जमा कर दिया गया है। जिला मत्स्य पदाधिकारी गुमला के द्वारा उक्त देनदार के ऋण खाता को बंद करने संबंधी पत्र प्राप्त है। अतः जिला मत्स्य पदाधिकारी गुमला से निर्गत पत्र/भुगतेय राशि के आलोक में उक्त नीलाम पत्र वाद की कार्रवाई देनदार के विरुद्ध समाप्त की जाती है। लेखापित।   नीलाम पत्र पदाधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी बसिया (गुमला) —सह— नीलाम पत्र पदाधिकारी बसिया (गुमला)।	